

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 537 / 2013
संस्थान दिनांक 24.09.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

मगन पिता भुवान आयु 20 वर्ष
निवासी- भीलट मोहल्ला, ग्राम बोरलाय
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 03.10.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 228 / 2013 अंतर्गत 324, 506 भा.द.सं. में दिनांक 24.09.2015 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 04.09.2013 को समय शाम 4:00 बजे, भीलट मोहल्ला पानी की टंकी के नीचे बोरलाय में फरियादी पप्पु को धारदार उपकरण चाकू से मारकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित करने 324 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 26.06.2015 को पप्पु तथा अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 506 भाग-2 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी पप्पु के संबंध में अभियुक्त मगन के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी पप्पु अभियुक्त को जानता है तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.09.2013 को फरियादी पप्पु, संतोष, संजय एवं अभियुक्त मगन भीलट मोहल्ला पानी की टंकी के पास थे, तब फरियादी पप्पु को अभियुक्त ने ताश के पत्ते खेलने को कहा, तो पप्पु ने मना कर दिया, इस पर से अभियुक्त ने पप्पु को चाकु मार दिया जो उसे बायें कंधे के नीचे लगा व चोट आई। घटना में बीच-बचाव संतोष, संजय ने किया। अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी। पुलिस ने फरियादी पप्पु द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 228/2013 अंतर्गत धारा 324, 506 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 2 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा पुलिस ने फरियादी पप्पु की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.09.2013 को समय शाम 4:00 बजे, भीलट मोहल्ला पानी की टंकी के नीचे बोरलाय में फरियादी पप्पु को धारदार उपकरण चाकू से मारकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में संजय (अ.सा.1), पप्पु (अ.सा.2) एवं अब्दुल गफ्फार खान (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी पप्पु अ.सा.2 का कथन है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व वह, संतोष एवं संजय तथा अभियुक्त पानी की टंकी के पास खड़े थे, फिर उसकी अभियुक्त से बोलचाल हो गई थी, जिससे उसका पैर फिसला था एवं टंकी का तार कंधे पर लगने से चोट आई थी। उसने इस घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ में लेखबद्ध कराई थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट पर अपना अंगूठा निशानी करना स्वीकार किया है, लेकिन रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा किसी चाकु से मारने के संबंध में लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने प्रदर्शपी 3 का नक्शा मौका पंचनामा बताया था और उसका मेडिकल परीक्षण पुलिस द्वारा करवाने के संबंध में कथन किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 4 के कथन में यह बताया था कि अभियुक्त ने उसे चाकु मारा था जिससे उसे कंधे पर लगा था। फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह राजीनामा हो जाने से असत्य कथन कर रहा है।

8. संजय असा 1 ने अभियुक्त एवं फरियादी को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। उक्त साक्षी से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है और घटना की कोई भी जानकारी नहीं होना बताया है।

9. अब्दुल गफ्फार खान असा 3 का कथन है कि दिनांक 04.09.2013 को फरियादी ने अभियुक्त के विरुद्ध उसके बाये कंधे पर चाकु मारने एवं धमकी देने के संबंध में प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पप्पु के बताये अनुसार नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाया था तथा उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा उसने अभियुक्त के पेश करने पर एक चाकु धारदार प्रदर्शपी 5 के अनुसार जप्त किया था। उसने डॉक्टर विमलेश चोयल को आहत पप्पु की चोटों की प्रकृति के संबंध में प्रदर्शपी 7 का पत्र भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि फरियादी ने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट में ए से ए एवं बी स बी भाग की बात नहीं बताई थी अथवा उसने अभियुक्त से कोई चाकु जप्त नहीं किया था।

10. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण की फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है तथा राजीनामा हो जाने से अभियोजन ने अन्य किसी साक्षियों के कथन नहीं कराये हैं तथा उसने एवं अभियोजन के परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किये है तो अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त मगन के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 324 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा चाकू (छुरी) मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

